राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 1202 दिनांक– 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लुम्भाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बायतू (बाडमेर) से उपकोषालय, सिणधरी (बाडमेर) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चौधरी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री चौधरी को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री चौधरी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चौधरी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री चौधरी को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

कमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/1202 दिनांक– 08/02/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बायतू (बाडमेर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कार्यालय कोषाधिकारी, बाडमेर
3. श्री लुम्भाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय– पंचायत समिति, बायतू (बाडमेर)

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)